आवास योजनाओं के लिए राजस्थान को ऋण

333. श्री सन्तोष बागड़ोदिया : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 2 वर्षों के दौरान आवास और शहरी विकास निगम द्वारा राजस्थान को ऋण उपलब्ध कराने हेतु कितनी योजनाओं का अनुमोदन किया गया और इस समय अनुमोदन के लिए कितनी योजनाओं पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) उन योजनाओं के अधीन कितनी आवास इकाइयों का निर्माण किए जाने की संभावना है और ऐसी प्रत्येक आवास इकाई के निर्माण पर कितनी लागत आएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क)

वर्ष	स्वीकृत योजनाओं की संख्या
1986–87	22
1987–88	34
1988–89 (31–1–89 तक)	20

अनुमोदन के लिए विचाराधीन योजनाओं की संख्या 10

(ख) 1986–87 से 1988–89 (31–1–89)) तक 76 योजनाओं के अन्तर्गत कुल 19295 रिहायशी एकक स्वीकृत किए गए हैं जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	6663
निम्न आय वर्ग	7570
मध्यम आय वर्ग	4240
उच्च आय वर्ग (31–1–89)	822
	19295

हुडको की विद्यमान वित्तीय पद्धति के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में रिहायशी एककों की अधिकतम लागत सीमा इस प्रकार है :—

ग्रामीण आवास	सीमा	अधिक तम सीमा
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (भूमिहीन कामगारों के लिए) I		6000 रुपए (भूमि लागत को छोड़कर)
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (भूमिहीन कामगारों के लिए) ii		10,000 रु० (भूमि की लागत को छोड़कर)
शहरी आवास		
आर्थिक दृष्टि से कम जोर वर्ग II (निर्मित आवास एकक)		15000 रु०
निम्न आय वर्ग–I		20,000 रु०
निम्न आय वर्ग-II		30,000 रु०
मध्यम आय वर्ग–I		60,000 रु०
मध्यम आय वर्ग-II		1,00,000 रु०
उच्च आय वर्ग		2,50,000 रु०

राजस्थान में चीनी मिलें

334. श्री सन्तोष बागड़ोदिया : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कुल कितनी चीनी मिलें हैं तथा ये कहां-कहां पर स्थापित हैं ; और

(ख) क्या सरकार इस राज्य में और चीनी मिलें स्थापित करने का विचार रखती है ; यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर इन चीनी मिलों के स्थापित किए जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) राजस्थान में इस समय तीन चीनी मिलें